

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश
ऑडिट भवन, झाँसी रोड - ग्वालियर
Office of the Principal Accountant General (Audit-I)
Audit Bhawan, Jhansi Road - Gwalior

प्रशा.-12/पेंशन एवं वे.नि सेल

दिनांक:12-08-2026

शुद्धिपत्र कार्यालय आदेश/Corrigendum Office Order –

इस कार्यालय के आदेश संख्या प्रशा.-12/पेंशन एवं वे.नि सेल/233 दिनांक 26.03.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री आदित्य रघुवंशी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी को NFU दिए जाने की तिथि संशोधित कर वेतन निर्धारण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। उक्त कार्यालय आदेश की शेष बातें, जिनमें उसमें शामिल अन्य अधिकारियों का वेतन निर्धारण भी शामिल है, अपरिवर्तित रहेंगी।

In partial modification of this office's order No. Admin-12/Pen.& Pay Fixation Cell/233 dated 26.03.2026, the date of Grant of NFU in respect of Shri Aditya Raghuvanshi, Assistant Audit Officer stands modified and accordingly his pay fixation is shown in the table below. The remaining contents of the aforesaid Office Order, including the pay fixation of the other officials covered therein, shall remain unchanged:-

क्र.	नाम एवं. पदनाम (स्थाई क्रमांक)	घटना	दिनांक	वेतन लेवल	वेतन
1.	आदित्य रघुवंशी, स.ले.प.अ. (02/11480)	Annual Increment	01.07.2025	Level-08	55200
		NFU (opted fixation from DNI)	09.12.2025	Levl-09	56300
		Fixation from DNI	01.07.2026		59700 DNI-01.01.2027

(उप महालेखाकार/प्रशासन के आदेश से जारी)

Sd/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(प्रशासन-12/पे फिक्सेशन)

प्रशा.-12/पेंशन एवं वे.नि सेल

दिनांक:12-08-2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. उपनिदेशक/लेखापरीक्षा वित्त एवं संचार, एनेक्सी, संचार भवन, बी.एस.एन.एल. कम्पाउन्ड, होशंगाबाद रोड, भोपाल।
2. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, महालेखाकार (ले. एवं हक.) का कार्यालय, म.प्र. ग्वालियर।
3. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी.ए., को इस आशय के साथ प्रेषित है कि मुख्यालय के परिपत्र संख्या 183-स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर./01.2022 दिनांक 01.11.2022 के

द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के कार्यालय जापन संख्या 18/03/2015-Estt. (Pay-I) 18/03/2015 दिनांक 03.10.2022 के बिन्दु 5(ii) के अनुपालन में यह वेतन निर्धारण ओदश जारी होने के 03 माह के भीतर यदि वेतन निर्धारण में कोई विसंगति है तो इस अनुभाग को तत्काल सूचित करें।

4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-14
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing को Internet/Intranet/Website संबंधी कार्य हेतु।
6. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11,12,13 एवं 14
7. श्री महेश कुमार आलोरिया, स.ले.प.अ. को Intranet एवं इन्टरनेट संबंधी कार्य हेतु।
8. श्री आदित्य रघुवंशी, स.ले.प.अ. (02/11480)
9. गार्ड फाइल।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(प्रशासन-12/पे फिक्सेशन)